कार्यालय नगर पालिक निगम, इ

क्रमांक :– 627 दिनांक :– 7/10/2018

प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि इन्दौर शहरी सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी सेप्टिक टैंक की सफाई पब्लिक प्रायवेट पार्टनशिप योजना के अंतर्गत निगम द्वारा नियुक्त फर्म जी.जी. इंटरप्राईजेस, प्रो. श्री मनदीप टुटेजा, 15/3, राजमोहल्ला, इन्दौर द्वारा किया जाता है।

शहर के रहवासी क्षेत्र/व्यवसायिक क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र से संग्रहित किये गये डी–स्लज (अपशिष्ठ) को नियमानुसार उक्त फर्म द्वारा निगम द्वारा निर्धारित स्थान कबीटखेड़ी पर ही निपटान हेतु भेजा जाना है यदि उक्त फर्म किसी अन्य स्थान पर डी–स्लज खाली करते पाये जाते है, तो अनुबंनकर्ता पर नियमानुसार स्पॉट फाईन रू. 2,000/– किया जावेगा एवं किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उक्त फर्म की डी–स्लज निगम के चेंबर में खाली करने की शिकायत आने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 192, 366 (रैगुलेटरी फ्रेम वर्क) के तहत कार्यवाही की जावेगी।

ULB Code : 802273
Indicator No.:........................
Document Code:........................
Nodal Officer
Swachh Bharat Mission
Indore Municipal Corporation

आयुक्त
नगर पालिक निगम, इन्दौर

Scanned by CamScanner

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को यह सूचित किया जाता है कि, नगर निगम इन्दौर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अतंर्गत 7-स्टार रेटिंग में भाग लेने हेतु इन्दौर नगर को प्रारंभिक एम.आई.सी संकल्प के माध्यम से कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर निगम इन्दौर द्वारा केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा स्टार रेंटिग हेतु निर्धारित प्रोटोकल अनुसार इन्दौर नगर निगम सीमा में निहित शर्तो डोर–टू–डोर, कचरा संग्रहण, स्त्रोत पृथक्कीकरण, सार्वजनिक, व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छता, व्यावसायिक क्षेत्रों में लीटर बिन की उपलब्धता एवं व्यवस्था, मटेरियल रिकवरी फैसेलिटी सेंटर की व्यवस्था, थोक अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा अनुपालन, वैज्ञानिक रीति से अपशिष्ट का निपटान, वैज्ञानिक लैण्डफिल तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, उपभोग शुल्क, जुर्माना, स्थलीय अर्थदण्ड एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध का अमल, नागरिक शिकायत एवं प्रतिपुष्टि व्यवस्था, अशोधित कचरा भंडारों का निवारण तथा कचरा भंडारों का वैज्ञानिक तकनीक से उपचार, बरसाती नालों एवं विभिन्न जल स्त्रोतों (तालाब, नदी एवं नहर) की सफाई, नगरीय सौंदर्यीकरण आदि गतिविधियां शहर के समस्त 85 वार्डो में क्रियान्वित की जा रही है।

उपरोक्त के क्रम में इस सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की समय अवधि में सर्वसाधारण से आपत्तियॉ/सुझाव आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयावधि में स्वच्छ भारत मिशन कार्यालय, नेहरू पार्क में कार्यालयीन समय सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक अपनी आपत्तियॉ/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

प्राप्त दावें/आपत्तियों/सुझाव के निराकरण पश्चात अंतिम संकल्प के माध्यम से इन्दौर नगर निगम को कचरा मुक्त शहर घोषित करते हुए मध्यप्रदेश शासन को अवगत कराया जावेगा।

सर्वसाधारण को सूचनार्थ।

स्थान :– इन्दौर

दिनांक:– 26.10.2019

(आशीष सिंह (IAS))
आयुक्त
नगर पालिक निगम, इन्दौर

Scanned by CamScanner